संख्या- 1-एक(9)/XXXVI(1)/2006-32जी-टी.सी.-11

प्रेषक,

यू०सी०ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 1 देहरादून : दिनांक : 19 फरवरी, 2006

विषय :उत्तरांचल राज्य में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 23 अस्थायी फास्ट ट्रैक न्यायालयों एवं सहायक सत्र न्यायाधीश/सिविल जज (सी.डि.) के 13 अस्थायी फास्ट ट्रैक न्यायालयों का कार्यकाल बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 15-एक(9)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005, दिनांक 8.7.2005 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल उत्तरांचल राज्य में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 23 अस्थायी फास्ट ट्रैक न्यायालयों एवं सहायक सत्र न्यायाधीश/सिविल जज (सी.डि.) के 13 अस्थायी फास्ट ट्रैक न्यायालयों हेतु शासनादेश संख्या 190/न्याय अनुभाग/2001, दिनांक 1.4.2001 द्वारा स्वीकृत इन पदों के कार्यकाल को वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए दिनांक 1.3.2006 से 28.2.2007 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-2007 के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-सिविल और सेशन न्यायाधीश-00" के सुंसगत प्राथमिक ईकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

भवदीय,

(यू०सी०ध्यानी)
सचिव ।

संख्या-1-एक(9)/XXXVI(1)/2006-32जी-टी.सी.-11-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), उत्तराचंल, माजरा, देहरादून ।
2. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तरांचल ।
3. सम्बन्धित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उत्तरांचल ।
4. सम्बन्धित सहायक सेशन न्यायाधीश/सिविल जज(सी.डि.), उत्तरांचल ।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
6. वित्त अनुभाग-5/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव ।